रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257658
CG-DL-E-03102024-257658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946
No. 766] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2024

सं.एल–1/260/2021/सीईआरसी .— चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 (इसके बाद ''डीएसएम विनियम, 2024'') दिनांक 21.08.2024 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग–ण्ण्, खंड 4, सं. 642 में प्रकाशित हुए थे।

चूंकि उक्त विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो भी आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी।

चूंकि, उक्त विनियमों के आरंभ के लिए अधिसूचना दिनांक 10.09.2024 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग– III, खंड–4, सं. 712 में प्रकाशित हुई थी।

और, अब, अतएव, दिनांक 10.09.2024 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग–III, खंड–4, सं. 712 में प्रकाशित उक्त अधिसूचना के आंशिक आशोधन में, एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि:

(क) डीएसएम विनियम, 2024 के विनियम 8 के खंड 8 के अलावा सभी उपबंध, दिनांक 16.09.2024 को 00.00 बजे से प्रवृत्त होंगे, और

(ख) डीएसएम विनियम, 2024 के विनियम 8 का खंड 8, जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, दिनांक 01.11.2024 को 00.00 बजे से प्रवृत्त होगा और दिनांक 31.10.2024 को 24.00 बजे तक समाप्त होने वाली अवधि तक, याचिका सं. 01/एसएम/2023 में दिनांक 06.02.2023 के आदेश का पैरा 27 (3) (क) प्रचालन में जारी रहेगा।

सुशांता के. चटर्जी प्रमुख (विनियामक मामले)
[विज्ञापन सं. III/4/असा./535/2024-25]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2024

F.No.L-1/260/2021/CERC.— Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 (hereinafter “the DSM Regulations, 2024”) were published in Part-III, Section 4, No. 642 of the Gazette of India Extraordinary on 21.08.2024.

Whereas, Clause (2) of Regulation 1 of the said regulations provides that the Regulations shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

Whereas, notification for the commencement of the said regulations was published in Part-III, Section 4, No. 712 of the Gazette of India Extraordinary on 10.09.2024.

And, now, therefore, in partial modification of the above said notification published in Part-III, Section 4, No. 712 of the Gazette of India Extraordinary on 10.09.2024, it is hereby notified that:

(a) All the provisions except Clause 8 of Regulation 8 of the DSM Regulations, 2024 shall come into effect from 00.00 hours of 16.09.2024; and

(b) Clause 8 of Regulation 8 of the DSM Regulations, 2024 shall, unless notified otherwise, come into effect from 00.00 hours of 01.11.2024 and until the period ending 24.00 hours of

31.10.2024, para 27 (3) (a) of the Order dated 06.02.2023 in Petition No. 01/SM/2023 shall continue to be in operation.

SUSHANTA K. CHATTERJEE ,Chief (Regulatory Affairs)

[Advt. III/4/Exty./535/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.10.03 15:24:43 +05'30'